न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 43/2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री हुकुम सिंह पुत्र श्री वन्ने सिंह (रेस्टोरेन्ट मैनेजर एवं विक्रेता), मैसर्स–वेगा फूड जोन 2 फ्लोर, वेगामॉल, अग्रसेन सर्किल, सूचना केन्द्र चौराहा अजमेर
2. श्री हितेश वीएम पुत्र श्री वासुदेव माधानी (प्रोपराईटर), मैसर्स–वेगा फूड जोन 2 फ्लोर, वेगामॉल, अग्रसेन सर्किल, सूचना केन्द्र चौराहा अजमेर
3. मैसर्स–वेगा फूड जोन 2 फ्लोर, वेगामॉल, अग्रसेन सर्किल, सूचना केन्द्र चौराहा अजमेर

........*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थी स्वयं।

–: आदेश :–

दिनांक–08.01.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने सब स्टैण्डर्ड पनीर का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.05.2024 को 03.30 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स–वेगा फूड जोन 2 फ्लोर, वेगामॉल,

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अग्रसेन सर्किल, सूचना केन्द्र चौराहा अजमेर पर पहूँचे श्री हुकुम सिंह पुत्र श्री वन्ने सिंह (मैनेजर) मौके पर उपस्थित मिले। मौके पर आम जनता को विक्रय हेतु 5 किलोग्राम पनीर फ्रीज में रखा हुआ था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान पनीर में मिलावट का शक होने पर उसमे से 1 किलो ग्राम पनीर वास्ते नमूना जाँच हेतु 300/– रूपये श्री हुकुम सिंह पुत्र श्री वन्ने सिंह को नगद देकर गवाह श्री अजय मोयल खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री हुकुम सिंह को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा पनीर को एक रूप कर चार खाली जार में 250–250 ग्राम बराबर बराबर डालने एवं प्रत्येक जार में 20–20 बून्दे फार्मेलिन की डालकर ढक्कन लगाकर बंद करने व लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए–4340 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/3449 दिनांक 11.06.2024 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. पीएच लैब/एलएस/630/एक्ट/2024/658 दिनांक 03.06.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच उपयोग में लिया गया पनीर सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। तत्पश्चात निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर के पत्र क्रमांक एफटी/एक्यूसीएल/एफएसएसए(928एफ)/2024 दिनांक 23.09.2024 से प्राप्त द्वितीय जांच रिपोर्ट संख्या 928एफ/एफएसएसए/2024 दिनांक 23.09.2024 के अनुसार पनीर सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी से समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय में दिनांक 12.11.2024 को प्रस्तुत हुआ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 12.11.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 08.01.2025 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 08.01.2025 को अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुये तथा जवाब नोटिस पेश किया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थीगण ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि पनीर जांच रिपोर्ट में Moisture एवं Milk Fat की मात्रा निर्धारित मात्रा के अनुरूप नहीं होने के कारण सब स्टैण्डर्ड पाया गया। जांच रिपोर्ट अनुसार पनीर में स्टार्च, यूरिया, डिटर्जेन्ट, न्यूट्रेलाईजर आदि किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई, जिससे पनीर स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो। उनके रेस्टोरेन्ट में उपयोग में लिया जाने वाला पनीर स्वयं द्वारा तैयार नहीं किया जाकर फूड लाईसेन्सशुदा अधिकृत डेयरी से क्रय किया जाता है एवं डेयरी मालिक से प्राईवेट लेब द्वारा करवाई गई जांच रिपोर्ट भी समय–समय पर प्राप्त की जाती है। जांच हेतु लिये गये पनीर के नमूने में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई है। केवल Moisture एवं Milk Fat के आधार पर नमूना सब स्टैण्डर्ड किया गया है। भविष्य में रेस्टोरेन्ट में उपयोग में लिये जाने वाले पनीर एवं अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

समझौता नहीं किया जायेगा एवं एफएसएसएआई के समस्त नियमों की पालना की जावेगी। अतः उन पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप किया जाये। चूंकि परिवाद में अप्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना जुर्म कबूल किया तथा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया एवं न्यूनतम शास्ती राशि लगाने हेतु निवेदन किया। अभियुक्तगण द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद में वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया पनीर सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्तगण दोषी प्रतीत होते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 को उपधारा 2 (II) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने के दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय किया जा रहा पनीर निर्धारित मूल्यों के अनुरूप नहीं होना व इसमें निर्धारित वैल्यू अनुसार फेट की मात्रा नहीं होना पाई गई है। ऐसे उत्पाद आम जनता/उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ स्पष्ट रूप से खिलवाड़ है। उपभोक्ता कोई भी उत्पाद विश्वास के साथ क्रय करता है, विक्रेता का इस प्रकार का कृत्य उपभोक्ता के विश्वास को भी परोक्ष रूप से आघात पहुँचाता है एवं विक्रेता/फर्म का ऐसा कृत्य अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन कर समाज में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित करने के दृष्टिगत अप्रार्थीगण को इस चेतावनी के साथ हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्तगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि अप्रार्थी अभियुक्तगण ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्तगण को रु 50000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 08.01.2025 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, अजमेर

3- अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।

4- श्री हुकुम सिंह पुत्र श्री वन्ने सिंह (रेस्टोरेन्ट मैनेजर एवं विक्रेता), मैसर्स-वेगा फूड जोन 2 फ्लोर, वेगामॉल, अग्रसेन सर्किल, सूचना केन्द्र चौराहा अजमेर

5- श्री हितेश वीएम पुत्र श्री वासुदेव माधानी (प्रोपराईटर), मैसर्स-वेगा फूड जोन 2 फ्लोर, वेगामॉल, अग्रसेन सर्किल, सूचना केन्द्र चौराहा अजमेर

6- मैसर्स-वेगा फूड जोन 2 फ्लोर, वेगामॉल, अग्रसेन सर्किल, सूचना केन्द्र चौराहा अजमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर